न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 08/2022

1 छीतरमल पुत्र तेजाराम जाति जाट निवासी सीलपुर तहसील खण्डेला जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 महेन्द्र कुमार पुत्र फूला।
2 नानची देवी पत्नी फूला।
3 कजोड़ पुत्र फूला।
4 संजय पुत्र फूला।
5 ममता देवी पुत्री फूला समस्त जाति जाट निवासीगण सीलपुर तहसील खण्डेला जिला सीकर।
6 लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार खण्डेला जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय व डिकी दिनांक 07.04.2021
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला प्रकरण महेन्द्र कुमार
बनाम नान्छी देवी मुकदमा नम्बर 103/2020

उपस्थिति :

1. श्री विनोद कुमार सरोज, अधिवक्ता अपीलांट

–निर्णय–

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

दिनांकः– 19-9-22

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला द्वारा मुकदमा नम्बर 103/2020 में पारित निर्णय दिनांक 07.04.2021 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट महेन्द्र कुमार ने विचारण न्यायालय खण्डेला मे दावा इस आशय का प्रस्तुत किया की राजस्व ग्राम सीलपुर तहसील खण्डेला के कृषि भूमि खसरा नम्बर 253,255,281,532 कुल किता 4 कुल रकबा 2.39 हैक्टेयर के वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे खातेदारी वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के मृतक पिता फूला पिता तेजा के नाम दर्ज है। खसरा नम्बर 264,256 कुल किता 2 कुल रकबा 0.04 हैक्टेयर की खातेदारी वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के पिता के नाम दर्ज है। उक्त कृषि भूमि फूला का विरासत के आधार पर प्राप्त हुई है। सीलपुर के खाता संख्या 08 के खसरा नम्बर 93 मे वादी के मृतक पिता फूला पिता तेजा हिस्सा 17/256 के नाम खातेदारी तो दर्ज है परन्तु उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड मे जाती दर्ज नही होने के कारण नामान्तकरण दर्ज नही हो पा रहा है। उक्त खाता में 17/64 हिस्सा अर्थात पुराने राजस्व रिकार्ड में हिस्सा 4 आना 1 पैसा हिस्सा मे सुण्डा शंकर पिता काना, फूला, छीतर पिता तेजा के नाम के आगे पुराने राजस्व रिकार्ड में जाति दर्ज नही की गई। जिसको वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता फूला पिता तेजा का हिस्सा 17/256 दर्ज किया गया है। परन्तु वादी फूला पिता तेजा एवं वादी के चाचा छीतर पिता तेजा व सुण्डा शंकर पिता काना की जाति पुराने राजस्व रिकार्ड में कही पर भी दर्ज नही की गई है। इस कारण वाद प्रस्तुत कर कृषि भूमि खसरा नम्बर 253,255,281,532 कुल किता 4 कुल रकबा 2.39 हैक्टेयर के मृतक पिता/पति फूला पिता तेजा जाति जाट के स्थान पर एवं खसरा नम्बर 264,256 किता 2 कुल रकबा 0.04 हैक्टेयर के 1/8 भाग के मृतक फूला पिता तेजा जाति जाट के स्थान पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 को बहिस्सा बराबर का

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
सत्यमेव जयते

खातेदार काबिज काश्तकार घोषित किये जाने की ईश्तदुआ चाही गयी। विचारण न्यायालय द्वारा राजीनामें के आधार पर उक्त वाद पत्र डिक्री कर दिया गया। इससे व्यथित होकर धारा 5 व धारा 96 के आवेदन के साथ यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में विवादित भूमि के सन्दर्भ में वादी व प्रतिवादीगण ने दूरभी संधि कर अपीलांट को पक्षकार बनाये बिना विधि विरूद्व रूप से विचाराधीन निर्णय व डिक्री प्राप्त की है। विवादित भूमियों मे तेजा का 1/2 हिस्सा था। अपीलांट तेजा का पुत्र है विचारण न्यायालय ने वादी ने इस तथ्य को छिपाते हुये कि संवत 2024 से 2026 मे तेजा का 1/2 हिस्सा दर्ज है, विचाराधीन डिक्री प्राप्त की है। विचारण न्यायालय में अपीलांट पक्षकार नही था। विचाराधीन निर्णय से अपीलांट का हित प्रभावित हो रहा है। विचारण न्यायालय में अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया है। जानकारी से अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत की गई है। अत धारा 5 व धारा 96 का आवेदन स्वीकार कर अपील स्वीकार की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में विवादित भूमि के सन्दर्भ में वादी व प्रतिवादीगण ने दूरभी संधि कर अपीलांट को पक्षकार बनाये बिना विधि विरूद्व रूप से विचाराधीन निर्णय व डिक्री प्राप्त की है। विवादित भूमियों मे तेजा का 1/2 हिस्सा था। अपीलांट तेजा का पुत्र है विचारण न्यायालय ने वादी ने इस तथ्य को छिपाते हुये कि संवत 2024 से 2026 मे तेजा का 1/2 हिस्सा दर्ज है, विचाराधीन डिक्री प्राप्त की है। विचारण न्यायालय में अपीलांट पक्षकार नही था। विचाराधीन निर्णय से अपीलांट का हित प्रभावित हो रहा है। विचारण न्यायालय में अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान नही किया गया है। अत धारा 5 व धारा 96 का आवेदन स्वीकार किया जाता है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को पक्षकार संयोजित कर बाद साक्ष्य सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.10.2022 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 19/09/2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(धारा सिंह मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर